आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांकः RABI-2079-OSMF-24-04 दिनांकः 16/10/2024

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/SIK/0008625

प्रशासनिक स्वीकृति

विषयः- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत् |

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
खण्डेला	5	Other Than SMF	75%-100%	135660
फतेहपुर	1	Other Than SMF	75%-100%	24750
रींगस	140	Other Than SMF	75%-100%	4293254
योग	**146**			**4453664**

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-05-12 बजट मद पर भारित होगी |

जिला कलेक्टर,
सीकर

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः-
1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, ...
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलक्टर.....
7. तहसीलदार .....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
सीकर

Document certified by
MUKUL SHARMA
<sharmamukul@gmail.com>
Digitally Signed by MUKUL SHARMA
Designation : Collector & District Magistrate
Date :18-10-2024 01:54:17

RajKaj Ref No.: 11172627